

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 23/2024-State Tax

Dated: 22/11/2025

No. F.3 (05)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 446 – In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), and in supersession of the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Expenditure-I), No. 22/2021 – State Tax, dated the 18th November, 2021, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F3(118)/Fin(Exp-I)/2021-22/DS-I/317, dated the 18th November, 2021, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act by any registered person, required to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act, for failure to furnish the return in FORM GSTR-7 for the month of June, 2021 onwards, by the due date, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act by such registered person for failure to furnish the return in FORM GSTR-7 for the month of June, 2021 onwards, by the due date, shall stand waived which is in excess of an amount of one thousand rupees:

Provided further that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act by the registered person, who fails to furnish the return in FORM GSTR-7 for a month by the due date, where the total amount of State Tax deducted at source in the said month is nil, shall stand waived.

2. This notification shall come into force on the 1st day of November, 2024.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,



(Ravinder Kumar)
Joint Secretary (Fin.)

No. F.3 (05)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 446

Dated: 22/11/2025

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.

SC (P & R)

3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
7. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.



(Ravinder Kumar)
Joint Secretary (Fin.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या-23/2024-राज्य कर

दिनांक: 22/05/2025

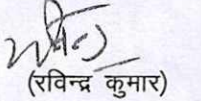
सं.फा.3(05)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/ 446 : दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड की अधिसूचना जो दिल्ली सरकार की अधिसूचना संख्या 22/2021 राज्य कर, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV में सं. फा.3(118)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/317, दिनांक 18 नवम्बर, 2021 के तहत प्रकाशित हुई थी को, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद की सिफारिशों पर उक्त अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत देय विलंब शुल्क की राशि को, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनके लिए अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है, माह जून 2021 से, प्ररूप जीएसटीआर-7 में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत करने की विफलता के लिए, उस अवधि के लिए जिस के दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, जोकि पच्चीस रुपये प्रतिदिन से अधिक है का अधित्यजन करती है।

परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत देय विलंब फीस की राशि, ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के लिए जून, 2021 से नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-7 में विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए जो एक हजार रुपये से अधिक है, का अधित्यजन जाता है।

परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत देय विलंब फीस की राशि, ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के किसी मास के प्ररूप जीएसटीआर-7 में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए, जब उक्त मास में स्रोत पर कटौती किए गए राज्य कर की कुल रकम शून्य है, का अधित्यजन किया जाता है।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2024 को लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर


(रविन्द्र कुमार)

संयुक्त सचिव (वित्त)

सं.फा.3(05)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/ 446

दिनांक: 22/05/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 3 माननीय वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 5 मुख्य सचिव के कर्मचारी अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 7 सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
- 9 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 10 निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साईट।
- 12 गार्ड फाइल।



(रविन्द्र कुमार)

संयुक्त सचिव (वित्त)